

# The Gazette of India

असाधाः

EXTRAORDINARY

भाग III — उन्ड 4 PART III — Section 4

प्राधिकार से ज़काशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	58]	नह	दिल्ली,	शुक्तवार	, मार्च १,	2007/फाल्गुन 18, 1928
No.	58] N	EW DI	FLHL F	RIDAY,	MARCH	9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

## विद्युत मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत चांधकरण)

अधिसचना

# नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 12/एक्स/एस. टी. डी. (कॉन)/ग्रिप्र/के. वि. प्रा.—ञ्चकि विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2005 के नियम 3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2006 के मसौदे की प्रकाशित किया गया था।

अत: अब, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 को धारा 177 की उप-धारा (2) के साथ प्रतित धारा 7 और धारा 73 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रिड के संयोजन के लिए तकनौकी मानकों के चिनियमन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम तैयार करता है, नामशा :-

1. अल्प नाम तथा प्रवर्तन

- इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिंड के संयोजन को लिए तकनीको मानक) विनियमन, 2007 के नाम से जाना जाएगा;
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू की ।

## 2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.

- ·(1) "अधिनियम" से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) से है;
- (2) "उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र" से अभिग्राय है राष्ट्रीय भार प्रेष्ण केन्द्र (एनएलर्डासी), क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) अथवा क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी संदर्भ हो;
- (3) "क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र" से अभिप्राय है राज्य के एक विशंध क्षेत्र में भार प्रेषण एवं निर्यंत्रण को लिए राज्य द्वारा यथा-स्थापित केन्द्र;
- (4) "उपयुक्त संचारण पृटिलिटी" से अभिप्राय है केन्द्रीय संचारण यूटिलिटी अथवा राज्य संचारण यूटिलिटी, जैसा भी संदर्भ हो;
- (5) "स्वचालित उत्पादन नियंत्रण" (एजीसी) से अभिप्राय कुल विद्युत संयंत्र उत्पादन, टाई-लाइन विद्युत प्रवाह और विद्युत प्रणाली आवृति के संदर्भ में चुनिन्दा इकाइयों के विद्युत उत्पादन को विनियमित करने की क्षमता से है;

(6) "स्वचालित बोल्टेच रेगुलेटर" (एवीआर) से अभिप्राय एक उत्पादक यूनिट टर्निनल चोल्टेच को विनियमित करने के लिए सतत आधार पर कार्य कर रही स्वचालित उद्दोधन नियंत्रण प्रणाली से है;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

- (7) " ब्रिटिश मानक" (वीएस) से अभिप्राय उन मानकों और विनिर्देशनों से हैं, जिन्हें ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया है;
- (8) "बल्क उपभोक्त" से अभिप्राय उस उपमोक्ता से हैं जो 33 कि.वो. अथवा अधिक को वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करता है;
- (9) एक त्रि-फलक प्रणालो में एक स्थल में "भू-दोष गुणक" से अभिप्राय होता है कि भू दोष (एक या अधिक फलकों को प्रभावित करने खाला) के दौरान एक सुदुव फलक पर फेज़ से धूमि तक विद्युत प्रायिकता बोल्टता के उच्चतम वर्ग माध्य गूल का अनुपात जो बिना दोष के चयनित स्थलों पर प्राप्त किया गया हो;
- (10) "पू-सम्पर्कन'' से अभिप्राय है कि एक पू-सम्पर्कन साधन द्वारा चालक पुंजों और पू-सम्पर्क के सामान्य द्रव्यमान के बीच संयोजन;
- (11) "ठर्जा प्रयंशन प्रणाली" (ईएमएस) से अधिप्राय सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा मितव्ययिता कायम रखते हुए एक विधुत प्रणाली के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए साफ्टवेयर सहित एक सम्पूर्ण प्रणाली से है;
- (12) "ईघेंट लागिंग सुविधाओं" से अभिप्राय प्रसारण तथा अन्य उपकरणों के प्रचालनों को कालक्रमिक अनुक्रम में रिकॉर्ड करने के लिए उपलब्ध कतए गए एक साधन से है;
- (13) "आवृति" से अभिप्राय प्रति संकॅड प्रत्यापतीं चक्रों की संख्या (हटर्ज में व्यक्त) से है;
- (14) "उत्पादक इकाई" से अभिप्राय उस बिद्धुत उत्पादक से है जो एक विद्युत केन्द्र के मोतर उस विद्युत केन्द्र पर सभी संयंत्र और उपकरणों के साथ (संयोजन बिन्दु तक) एक मुख्य प्रयर्तक से जुड़ी है और जो सिर्फ उस जनरेटर के प्रवालन से संवधित है;
- (15) "आईईसी मानक" से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग द्वारा अनुमोरित मानक से है;
- (16) "भारतीय मानक" (आईएस) से अभिप्राय भारतीय भानक संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों से है;
- (17) "अतःसंयोजन बिन्दु" से अभिग्राय उस उप-केन्द्र अथवा स्विच वार्ड से है जिस पर अनुरोधकर्ता तथा ग्रिंड के बीच अंतःसंयोजन स्थापित किया गयः है;
- (18) "आईसोलेटर'' से अभिप्राथ विद्युत प्रणाली के एक हिस्से का शेष प्रणाली से वियोजन प्राप्त करने के एक साधन से है;
- (19) एक उत्पादन इकाई के "अधिकतम अविरत निर्भारण'' (एमसीआर) से अभिप्राथ निर्धारित मापदंडों पर विनिर्माता द्वारा गार्रटी दिए गए जनित्र टमिनल पर भेगायाट नें अधिकतम अविरत उत्पादन से है;
- (20), "नई इकाई" से अभिप्राय उस उत्पादक इकाई से है जिसके लिए अनुरोधकर्ता ब्रिड के संयोजन की मांग कर रहा है;
- (21) "विद्युत कारक" से अभिप्राय एक ऐसी इलैक्ट्रीकल सॉर्केट में बोल्टेन और करंट काम्पलेक्सर के बीच इत्तैक्ट्रीकल कोण की कोटिन्या (कोसाइन) से है;
- (22) "विद्युत प्रणाली स्टेब्लाइजर" (पीएसएस) से अभिप्राय उस नियंत्रक उपकरण से हैं जो एक समकालिक मशौन के विद्युत सेलन अवमंदन के लिए वोल्टेज नियंत्रक के माध्यम से उत्तेजन को नियंत्रित करने के लिए गति, प्राधिकता तथा विद्युत के निविधिट सिरनलों को प्रहण करता है;
- (23) "संरक्षण प्रणाली" से अभिप्राय उस उपकरण से है जिसके द्वरा ग्रिड में अनियमित परिस्थितियों का पता लगाया खाता है तथा प्रचालक द्वारा बिना इस्तक्षेप के दोष क्लीयरेंस, संचालन संकेत अथवा निर्देशन आरंभ किए खाते हैं;
- (24) ऐसी विद्युत प्रणाली में "प्रतिधाती विद्युत" से अभिप्राय है क्यां माध्य पूल (आएएपएस) वोल्टता, वर्ग माध्य मूल (आरएमएस) धारा तथा वोस्टता काम्प्लेक्सर तथा धारा काम्प्लेक्सर के बीच वैद्युत फलंक कोण की ज्या (साइन) का प्रतिकत, जो वोल्ट एम्पियर प्रतियाता (वौद्यआर) मानक गुणक में आमाधित है;
- (25) "अनुरोधकर्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी केप्टिय उत्पादक संयंत्र सहित अथवा संचारण लाइसेंस-धारक (केन्द्रीय पारेषण यूटितिटी और राज्य पारेषण यूटितिटी को छोड़कर), वितरण लाइसेंसपारक अथवा बल्क उपभोक्ता जो 33 कि.चो. और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर प्रिंड से अपने नए अथवा विस्तारित नैद्युत संयंत्र का संयोजन प्राप्त कर रहा है;
  - (26) "स्काष्ठा" से अभिप्राय है पर्यवेशक नियंत्रण तथा डाटा अर्जन प्रणाली, जो संचार संयोजनों पर दूरस्य स्थलों से डाटा अर्जित काती है तथा प्रयोधन, पर्यवेक्षण नियंत्रण के साथ-साथ निर्णय तेने के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रण स्थल पर प्रक्रमण काती है;
    - (27) "स्थल साझा उद्रेख" से अभिप्राय हे एक उद्रेख जिसे एक संयोजन स्थल जो संयोजन स्थल का विन्यास बताता है, सांझा सुरक्षा तथा नियंत्रण उद्रेखों को साझा संघाओं को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है;

- (28) "स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची" (एसआएएस) से अपिग्राय है अंत्र:संयोजन बिन्दु पर उपस्कर के नियंत्रण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए स्थामित्व, दार्थात्व दर्शांने के लिए एक अनुसूची है;
- (29) "प्रणालो संरक्षण स्कीम" से अभिप्राय एक ऐसी स्कीम से है जो असायान्य प्रणाली परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तैयार की गई है और जो प्रणाली सम्यूर्णता के संरक्षण के लिए पूर्वनिर्धारित, उपचारात्मक कार्रवाई कर सके और स्वीकार्य प्रणाली निष्पादन उपलब्ध करा सके;
- (30) "ताप विद्युत उत्पादक इकाई" से अभिग्राय उस उत्पादक इकाई से है जो जोवारम ईंधन जैसे कोवला, लिंग्नाइट, गैसीय तथा तरल ईंधन का प्रयोग कर रही है;
- (31) "कुल हामॉनिक विकृति" (टीएचही) से अभिप्राथ घोल्टता अथवा कांट भारा रूप (जो आदर्शत: ज्यावक्ररेन होगा) की विकृति का माप है और यह मूल की मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सभी सेल्टता के वर्गों का योग अथवा करंट हामॉनिक्स का वर्गमुल है;
- (32) "संचारण प्रणालो" से अभिष्ठाय है संचारण लाइनों तथा उप केन्द्रों का नेटवर्क; .
- (33) "अंडर आधृति प्रसारण" से अभिप्राय है एक ऐसा प्रसारण जो तब कार्य करता है जब प्रणाली प्रायिकता पूर्व-निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जाती है:
- (34) "उपभोक्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी केंप्टिव उत्पादक संयंत्र संहित अथवा संचारण लाइसेंसपारक (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और राज्य पारेषण यूटिलिटी के अतिरिक्त), वितरण लाइसेंसपारक अथवा बल्क उपभोक्ता बिसका इलैक्ट्रिकल संयंत्र 33 कि.चो. और इससे अधिक के वोल्टता स्तर पर ग्रिंड से जुडा है; और
- (35) "वोल्टता असंतुलन" तीनों फेसों की औसत लाइन वोल्टता द्वारा विभाजित उच्चम और न्यूनतम लाइन के बीच विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

प्रयुक्त इल्कों तथा अभिव्यक्तियों, जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, के लिए अधिनियम में इनके लिए जो अर्थ दिए गए हैं, वही रहेंगे ।

# विनियमों की प्रयोग्यता

ये विनियम सभी उपपोक्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी पर लापू होंगे ।

## 4. उद्देश्य

- (1) इन विनियमों का उद्देश्य प्रिड का सुरक्षित प्रवालन, सुव्यवस्था तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित कराने के लिए है ।
- (2) नए संयोजन का ग्रिंड पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेंगा। ग्रिंड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए ग्रिंड मानदंड) विनियम जैसे और जब भी वे लागू होंगे, के अनुसार विशिष्टीकृत विश्वसनीमता, सुरक्षा तपा मुणवत्ता के साथ कार्य करना जारी रखेंगे। तथ्यपि अनुरोधकर्ता अथवा उपपोक्त के संयंत्र और उपकरणों के संरक्षण के लिए हन विनियमों पर भरोसा नहीं किना जा सकता।
- (3) एक अनुरोधकर्ता को ग्रिंड में शनिंश होने के लिए अपनी प्रणाली द्वारा पूरा किए जाने वाले मानकों और सर्तों की पहले से हो जनकारी होना अपेक्षित है।

#### 5, मा**नफ**

उपकरण ग्रिड से संयोजन के लिए तकनीकी मानकों के प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जैसा कि इन विनियमों को अनुसूची और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रवालन एवं रख-रखाव के लिए प्रिड मानदंड) विनियम, जैसे और जब भी थे लागू होंगे, और ग्रिड कोड तथा स्टेट ग्रिड कोड जैसाकि उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिप्ट किया गया है, में दिया गया है

## सामान्य संयोजन परिस्थिति

- (1) अनुरोधकर्धा विनिर्माण, प्रचालन और रख-रखान तथा संयोजन एवं अन्य साविधिक प्रावधानों के लिए विनियमों के अध्याधीन अपने स्वयं के उपकरणों की योजना, अधिकल्प, विनिर्माण, विश्वसनीयता, संरक्षण तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुरोधकर्ता तथा उपमोक्ता को ग्रिड के साथ अंतःसंयोजन को अनुमति देने के लिए उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा लाइसेंसपारक अथवा उत्पादक स्टेरान, जिसकी प्रणाली द्वारा अंतःसंयोजन का प्रस्ताव है, द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करना गयापेक्षित है।

3

- (3) अनुरोधकर्ता तथा उपप्लेक्ता आषाज और आंकड़ों के संचारण तथा ऑन-लाइन प्रचालनात्मक आंकड़ों के हस्तांतरण बैसे चोल्टता, आवृति, लाइन प्रवाह, ब्रेकर एवं आइसोलेटर की स्थिति तथा उपपुक्त मार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा-निर्भातित अन्य मानरडों के लिए आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराएंगे।
- (4) अनुरोधकर्ता तथा उपमोक्त भोचे सूची में दिए गए मामलों, किन्तु इन तथा सोंमित नहीं, के संबंध में क्षेत्रोय विद्युत सलिति तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्रों के साथ सहयोग कांगे :-
  - (क) इसके संरक्षात्मक प्रसारण का तर्नुसार संरक्षण समन्वय तथा सेटिंग;
  - (ख) अपने अधिकार क्षेत्र में मीटरों और संचारण प्रणाली को अच्छी स्थिति में रखने को सहमत;
  - (ग) उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारां यथा-निर्णीत प्रक्रिया के अनुसार संभःव्यता प्रचालनों जैसे लोड शेडिंग, उत्पादन को बढा्क अथका कम करना, आईलेडिंग, ब्लेक स्टार्ट, स्टार्ट-अन पाकर उपलब्ध कराना तथा मरम्पत में भाग लेना;
  - (घ) प्रणाली अध्ययन अथवः ट्रिपिंग के विरलेपण को सुकर बनाने अधवा विद्युत प्रणाली में व्यवधान के लिए उपयुक्त संचारण यूटिसिटी अथवा संचारण लाइसेंसध रक, उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र, उपयुक्त क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा जाधिकरण अथवा उपयुक्त सरकार द्वारा गठित कोई अन्य सनिति द्वारा गथा–अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करना;
  - (ङ) शार्ट-सर्किट लेवल, संरक्षण समन्वय तथा प्रचालन आवश्यकताओं के कारण आवश्यक माने २ए अन्य तकनीको कारणों के संबंध में उसके उपकरणां में लंशोधन करता;
  - (च) क्षेत्रीय विशुत समिति द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादन इकाईयों तथा संचारण लाहनों के संबंध में राज्य और क्षेत्र के समन्वित कानवंदी योजना का पालन करना; और
  - (७) उत्पादन इकाई की उद्दीपन प्रणाली में उपलब्ध कराए गए विद्युत प्रणालो स्टंबलाइजर को टपूर्निंग के लिए क्षेत्रीय विद्युत समिति के साथ सहयोग करना :
- (5) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता अपनी प्रणाली के नियंत्रण और टैली-मीटरिंग विशेषताओं का स्यचालित उत्पादन नियंत्रण, स्वचालित भार शेडिंग, विशेष संरक्षण प्रणाली, कर्बा प्रथंधन प्रणाली और संबंधित एज्य अथवा क्षेत्र की स्काहा प्रणाली में समेकन करने के लिए प्रथंध करेंगे।
- (6) अंत:संयोजन अध्ययन के लिए, अनुरोधकर्ता उपयुक्त संचारण घूटिलिटी के पास योजना अवस्था में संयोजन के लिए अनुरोध कर सर्कता है। यदि एक अनुरोधकर्ता वितरण प्रणाली से अंत:संयोजन की मांग करता है तो ऐसा अनुरोध वितरण लाइसेंसधारक के पास किया जाएगा । उपयुक्त अंत:संयोजन चूटिलिटी अथवा वितरण लाइसेंसधारक अंत:संयोजन उपलब्ध कराने के लिए अंत:संयोजन का फेन्द्र निर्धारित करने, अर्घोधत अंत:संयोजन सुविधाएं तथा मौजूदा द्रिडों पर अपेक्षित संशोधन, यदि कोई हों, का अंत:संयोजन अप्ययन कर सकता है । अध्ययन में संचारण प्रणाली क्षमता, परिणमन स्थिता, वोल्टता विल्या, मीटरिंग बोल्टता विनियमन, हारमोनिक्म, वोल्टता फ्लिकर, इलेक्ट्रोमेग्वेटिक परिणमन, मशीन डाइनेमिक्स, फेरो रोजोनेंस, मीटरिंग आवश्यकताएं, संरक्षालक प्रसारण, उपस्टेशन भू-सम्पर्कन तथा दोव डायूटी, जैसा भी मामला हो, का भी समाधान किया जाएगा।
- (7) (1) ग्रिड के साथ अनुरोधकर्ता की प्रणाली का प्रत्येक संयोजन अनुरोधकर्ता और
  - (क) अंतर्राज्य संचारण प्रणाली अथवा अंत:राज्य संचारण प्रणाली, जैसा भी संदर्भ हो, को संयोजन के मामले में उपयुक्त संचारण यूटिसिटी;
  - (ख) वितरण लाइसँसधारक को प्रणाली के अंत:संयोजन के मामले में वितरण लाइसेंसधारक; और
  - (ग) संचारण लाइसेंसधारक और उपयुक्त संचारण यूटिलिटी, एक संचारण लाइसेंसधारक के डांत:संयोजन के मामले में
     (त्रिपक्षीय करार)।
  - (2) संयोजन करार में उस संयोजन पर लागू सामान्य और विशिष्ट तकनीकी स्थितियां शामिल होंगी ।

## 7, स्थल उत्तरदांयित्व अनुसूची

- (1) प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए उप-केन्द्र के स्वामी द्वारा जहां संयोजन खगाया जा रहा है, एक स्थल उत्तरदायित्य अनुसूची (एसआरएस) तैयार को जाएगी।
  - (2) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी, नामशः :--
    - (क) इलेक्ट्रीकल उपकरण सेवा एवं आपूर्ति की अनुसूची;
    - (ख) दूरसंचार तथा मापन उपकरणों की अनुसूची; और
    - (ग) प्रत्येक संयंत्र तथा उपकरण पर लागू सुरक्षा नियम ।

- (3) संयोजन स्थलं पर अधिष्ठापित उपकरणों की प्रत्येक यह के लिए स्थल उत्तरदायित्य अनुसूची में निम्नतिखित सूचना भी प्रम्तुत की जाएगी, नामशः :-
  - (क) उपकरण का स्वामित्व;
  - ' ( ख ) उपकरण के नियंत्रण का उत्तरदायित्य;
    - (ग) उपकरण के रख-रखाब का उत्तरदायित्व;
    - ( प ) उपकरण के प्रचालन का उत्तरदायित्व;
    - (ङ) स्थल का मैनेजर;
    - (च) स्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व; और
    - (13) स्थल पर उपरकरणों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व ।

#### 8, संयोजन स्थल पर पहुंच

वैद्युत संघंत्र के अनुरोधकर्ता अथला प्रयोगकर्ता, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारक अथवा उपयुक्त संचारण यूटिल्टिंग अथवा उपयुक्त भार प्रेषण ऋंद, जिसका उपकरण अधिष्ठापन, प्रचालन और उपकरण के रख-रखाद इत्यादि के लिए संयोजन स्थल पर अधिष्ठापित है अथना अधिष्ठपित करने का प्रस्ताव है, को उचित्र पहुंच और अन्य अपेक्षित सुविधाएं उपतब्ध कराएगा ।

' १, स्थल साइन अभिरेख

प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए स्थल साझा अभिरेख उप-केन्द्र के स्थामी, जहां संयोजन किया जा रहा है, के द्वारा तैयार किए जाएंगे ।

#### अनुसुची

#### (विनियम सं. 5 देखें)

ग्रिइ में संयोजन के लिए मानक

#### <u>भाग</u> ।

#### सामान्थ .

# फार्यप्रणाली के मानक एवं कोड

- (1) अनुरोधकर्त्ता उपकरण अधिषठ्यम और इसके प्रचालन एवं प्रबोधन के संबंध में उद्योग सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तथा लागू उद्योग मानकों का अनुरूरण करेग्द्र ।
- (2) ओवरहैड लाइनें और केवल सॉहत सभी उपकरण संगत भारतीय मानकों, ब्रिटिश मानकों (औएम) अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक तकनौको आयोग (आईईसी) मानक अभवा अमरीकन नेशनल स्टेंडर्ड्स इंस्टोट्ययुट (एएनएसआई) अथवा किसी अन्य सभान अंतर्राष्ट्रीय म्पनक का अनुपालन करेंगे।

बशतें की अब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सतक अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक तकनीकी आयोग (आईईसी) मानक का अनुसरण किंगः जाता है तो बस्त फानकों को वास्तव में अंगीकार करने के पहले अभिदित प्रणाली प्राधिकता, अभिहित प्रणाली त्रोल्टता, परिवेशी तापमान, आईत तथा भारत में प्रचलित अन्य परिस्थितियों के लिए आवश्यक सुधार अथवा संशोधन किए जाएंगे

- (3) संयोजित सुविधाओं के आरेखन और प्रचालन में यायु, तूफान, बाढ़, तडि्त, उद्यिक्षेप, तापमान आधिक्य, आईसिंग, प्रदूषण और युकम्प के प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए।
- (4) अनुरोधकर्ता द्वारा उपकरण का अधिषद्यपन, प्रथालन तथा रख-रखाव अधिनियम की धारा 177 तथा भाग 73 की अंतर्गत प्राधिकरण द्वर्प्य विनिर्धिष्ट संगत मानकों के अनुसार होया, जब कभी वे लागू हों।

#### 2. सुरक्षा

अनुरोधकर्ता भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के धिनियमों का तब तक अनुपालन करेगा, जब तक कि केश्रीय विद्युत प्राधिकरण (सरक्षा एवं विद्युत आनुर्ति) धिनियम लागू नहीं होते ।

## 3. उपकेन्द्र भू-संपर्कन

प्रत्येक संचारण उपकेन्द्र का एक भू-संपर्कन मैट होगा जो सभी धालिक ढांचों और अन्य गैर-ऊर्जायित धाल्यिक उपकरण से सुदृढ़ रूप से जुड़ा हुआ । यह मैट पू. संपर्क संमान्धता प्रवणता को ऐसे वोल्टेन और करट स्तरों उक सीमित करेगा जो लोगों की चुरक्षा को खतरे में नहीं डालोगा अथवा उसमें लगे उपकरणों को नुकमान नहीं पहुंचाएगा, सत्यान्य और खरानी की स्थिति में, स्टेशन अथवा स्टेशन से पार्श्वस्थ में ।

792 GI 07-2

## THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भू-संपर्क मैट का आकार एवं प्रकार भ्यानीय भूमि स्थितियों और उपलब्ध वैद्युत देख करंट मात्रा पर आधारित होगा। उन क्षेत्रों में जहां धू संपर्कन मैट वोल्टता स्थीकार्य और सुरक्षित सीमाओं के भीतर नहीं होगा (उदाहरण के लिए उच्च भूमि प्रतिरोधकता अथवा सीमित उपकेद कारण), स्थीकार्य स्तर्धे तक भू-संपर्कन ग्रिंड प्रतिरोधन को कम करने के लिए पू-संपर्कन रॉड्स अथवा भू-संपर्क कुओं का उपयोग किया जा सकता है। उपकेन्द्र भू-संपर्कन इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रानिश्स इंजीनियर्स (आईईईई)-80 के मानदंडों अनुसार किया जा है।

## 4. मीटरिंग

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में यथा-विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार मीटर उपलब्ध कराया जाएगा ।

## 5. पूल विद्युत रोघन स्तर तथा विद्युत रोघन समन्वयन

- (1) उपकरणों की विभिन्न मरों का मूल विद्युत रोधन स्तर (वीआईएल) और उत्पादन केन्द्रों, लाइनों और उपकेन्द्रों के लिए प्रोत्कर्ष 'निरोभकों को रेटिंग पर प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में निर्णय किया जाएगा, नामश: :--
  - (क) जनता तथा प्रचालन कार्मिकों को सुरक्षा सुनिश्चित कराना;
  - (ख) संयंत्र को स्थायी क्षति से बचानः;
  - (ग) महंगे उपकरण को फेल होने से रोकना;
  - (घ) सर्किट व्यवधानों को कम करना; और
  - (ङ) उपमोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का व्यवधान कम करना ।
- (2) उपस्कर तथा अनुरोधकर्ता के संयोजन बिंदू के दोनों साइडों के लाइनों का तथा प्रिंड के विद्युत रोषन समन्तयन को संपादित तथा समन्वयन उपयुक्त संचारण यूटिलिटी द्वारा किया आएगा।

## सुरक्षा प्रणासी तथा समन्वय

- (1) सुरक्षा प्रणाली का अभिकल्पन विभिन्न असामान्य परिस्थितियों पर विश्वसनीय रूप में दोष का पता चलाने के लिए किया जाएगा तथा उपस्कर अथवा प्रणाली को स्वतः रूप से आइसोलेट करने का समुचित साधन तथा स्थल मुद्रेया कराएगी । सुरक्षा प्रणत्नी सुरक्षा क्षेत्र के मौतर विद्युत प्रणाली दोषों का पता चलाने में अवश्य ही सक्षम होगी । सुरक्षा प्रणाली उपस्कर विफलता अथवा ओपन-फेस परिस्थितियों जैसे आसमान्य प्रचालन स्थितियों का पी पता चलाएगी ।
- (2) विद्युत प्रणाली का प्रत्येक घटक अपेक्षित जिश्वसनीयता, चयन, गर्तत, भेदमाख तथा संवेदनशीसता के साथ एक मानक सुरक्षा प्रण्तणी द्वारा सुरक्षित होग्ध । जहां पर अनुरोधकर्ता प्रणाली में एक सुरक्षा रिले की विफलता ग्रिंड पर पर्यंत्व प्रमाव है, सुरक्षा के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा जोडी जाएगी )
- (3) ग्रिड में सुरक्षा प्रणालियों को मुहैया कराने के घावजूद ग्रिड में दोष आर्रम होने से पष्टले अपनी प्रणाली की रक्षा के लिए अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता अपेक्षित सुरक्षा मुहैया कराएंगे।
- (4) विनियमनों में जहां कहां भी अनुबद्ध हो, बसबार सुरक्षा तथा ब्रेकर फैल सुरक्षा अथवा स्थानोच ब्रेकर वेक अन सुरक्षा मुहैया कराए जाएंगे ।
- (5) भार कटौती, वोस्टेज अस्थिरता, कोणीय अस्थिरता, उत्पादन बेकिंग डाउन के लिए अंडर फ्रीक्वेंसी रि.ते अथवा आईलेंडिंग स्कीमों जैसी विरोध सुरक्षा स्कीमों को आवश्यकता प्रणाली बाधाओं के निवारण के लिए होगी।
- (6) सुरक्षा समन्वय स्प्रमलों को क्षेत्रीय विद्युप्त समिति द्वारा ऑरिम रूप दिया जाएगा।
- (7) अनुरोधकर्ता तथा प्रयोगकर्ता अपने कार्मिकों के प्रयोग तथा संदर्भ के लिए विभिन्न मानकों के अनुरूप सुरक्षा येनुआन विकसित करेंगे ।

# बाधा रिकॉॉर्डॅंग तथा घटना अभिलेख सुविधाएं

220 कि.वो. अथवा उससे अधिक पर प्रिंड से सम्बद्ध प्रत्येक उत्पाद केन्द्र तथा उपकेन्द्र की बाधा रिकॉडिंग तथा घटना अभिलेख सुलिधाओं से मुहैया कराया जाएगा। ऐसे सभी उपस्करों को ग्लोवल टाईम रेफरेंस के लिए समय तुल्यकालिक सुविधाओं से मुहैया कराया जाएगा।

## 8. संक्षिप्त आरेख

इसकी प्रणाली सुविधा के संबंध में अनुरोधकतां तथा प्रयोगकर्ता सिंगल लाइन संक्षिप्त आरेख तैयार करेगा तथा उसे उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा लाइसेंसधारी जिसके द्वारा उसकी प्रणाली सम्बद्ध की गई है तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध कराएगा ।

б

# संयोजन से पहले निरीक्षण, परीक्षा, कोलीक्षेज्ञब तथा अनुरक्षण

सम्बद्ध किए आने से पहले, अनुरोधकर्ता उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अश्रवा लड्स्सेंसधारी अथवा उत्पादन केन्द्र जिससे उसके उपस्का सम्बद्ध है के लाथ परामर्श में सभी निरीक्षणों तथा एरीक्षणों को अंतिम रूप देने के लिए पुरा करेगा । उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा लाइसेंस-धारी अथवा उत्पादन केन्द्र जैसा भी मामला हो, के लिए अनुरोधकर्ता समन्वित प्रचालन से संबंधित परियोजना उपस्कर के सभी आरेक्षों, विनिर्देशन तथा परीक्षा रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा ।

## भाग П

## उत्पादन इकाईयों पर लागू होने वाले ग्रिड संयोजक मानक

विनियमनों में दी गई सामान्य संयोजक परिस्थितियों तथा अनुसूची के फाग-1 में दी गई सामान्य आवश्यकताओं के अलावा एक उत्पादन केन्द्र पर ग्रिड से सम्बद्ध की जाने घाली प्रस्तावित इकाइयां निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी :—

## 1. नई उत्पादन इकाइयां

- (1) प्रत्येक उत्पादन इकाई के लिए उत्तेजन प्रणाली :-
  - (क) के पास आभुनिकतम उत्तेजन प्रणाली होगा;
  - (ख) में एक स्वचालित बोल्टेज रंगूलेटर होगा । 100 मे.वा. रेटिंग तथा अधिक के जेनरेटाों में डिजिटल कस्ट्रोल सहित एक स्वचालित वोल्टेज रेगूलेटा तथा स्वतंत्र इनपुट तथा स्वचालित चेंबोघर घाले हो पुथक चैनल हॉंगे; और
  - (ग) 100 मे.वा. तथा अधिक के जेनेरेटरों के स्वचालित मोल्टेज रेगुलेटर में बिधुत प्रणाली स्टेबलाइजर (पीएएराएस) श्रामिल होंगे।
- (2) जेनेरेटरों के लिए शार्ट-सर्किट अनुमात (एससीआर) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)-34 के अनुसार हॉने ।
- (3) जेनेरेटर ट्रांसफार्यर चाईहिंग की निष्न वोल्टेज साइड पर डेल्टा कनेक्शन तथा उच्च वोल्टेज साइड पर स्टार कनेक्शन होगा। उच्च वोल्टेज साइड का स्टार बिन्दु प्रमाधी तौर पर (मजवूती से) धू-सम्पर्कन किया होग्र लक्ति अर्थ फाल्ट गुणक 1.4 या उससे कम प्राप्त किया जा संके।
- (4) क्षमता का ध्यान किए बिना सभी जेनेरेटिंग मशोनों में आवृति को नियत्रित करने के लिए उपयुक्त स्पीड/भार विशेषताओं सहित इलैक्ट्रॉनिकली नियत्रित गवनिंग प्रणाली होगो र ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों के नियंत्रकों में से 3 से 6% की शिथिलता (डूप) होगेर तथा चल विद्युत उत्पादक यूनिटों में 0 से 10% तक होगी 3
- (5) अनुरोधकर्ता को परियोजना ग्रिड पर वोल्टेन तथा करेट हारभोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंन्डीनियर्स (आईईईई) मानक-519 में बताई गई सीमाओं से अधिक नहीं होगी।
- (6) भार केन्द्र के समीप स्थित उत्पदक इकाइयों 0.85 लोगिंग (आत-उत्तेजित) से 0.95 लीडिंग (अल्य-उत्तेजित) के मच्य परिवर्ती विद्युत घटक के लिए दरित आउटपुट पर प्रचालन के लिए सखम होगी तथा भार केन्द्रों से दूर स्थित उत्पादक इकाईयां 0.9 लेगिंग (अति उत्तेजित) से 0.95 लीडिंग (अल्प-उत्तेजित) के मच्य परिवर्ती विद्युत घटक के लिए दरित आउटपुट पर प्रचालन के लिए सखम होंगी। उपर्युक्त निष्पादन <u>+</u> 5% के निम्नतम वोल्टेज विचलन, +3% तथा -5% के आधृति विचलन तथा <u>+</u> 5% के संयुक्त केल्टेज दथा आधृति विचलन पर प्राप्त किए जाएंगे 1 एग्लोंकि, गैस टरबाइन के लिए उपर्युक्त निष्पादन <u>+</u> 5% के वोल्टेज विचलन के लिए प्राप्त किए जाएंगे।
- (7) कोयला अथवा शिग्वाइट आधारित कप विद्युत जेनेरेटिंग इकाईयां आर्थ्रात प्रतिक्रिया देने के लिए लघु अवधि के स्तिए अधिकतम अविरत निर्धारण (एमसीआर) के 105% उत्पादन करने में संक्षम होगी (बशर्त वाल्य वाइड ओपन कंडीशन के तहत भार क्षमता अधिकतम हो)।
- (8) जल-विद्युत उत्पादक इकाईयां 110% की दरित क्षमता, तक सतत आधार पर उत्पादन के लिए सक्षम होंगी ।
- (9) सभी उत्पादन इकाईयों में इकाईयों को न केवल इकाइयों के अंदर तथा स्टेशन के अंदर गुटियों से परंतु संचारण लाइनों में गुटियों से सुरक्षित रखने के लिए मानक सुरक्षा होंगे। 100 मे.ख. से अधिक को दरित क्षमता वाली उत्पादन इकाईयों के लिए स्वतंत्र डायरेक्ट करेंट (डोसी) आपूर्तियों से पूरित ट्रिप को दो स्वतंत्र सैंटों पर सुरक्षा के दो स्वतंत्र सैंट मुष्ठैया कर ए जाएंगे। सुरक्षाऊन में सम्मिलित होंगे परन्तु लोकल बेकर बैक-अप (एलबीबी) तक सीमित नहीं होंगे।
- (10) जहां संभव हो, 50 में.या. तथा अधिक की जल विद्युत उत्पादन इकाईयां तुल्पकालिक कडेंसर मोह में परिचालन में सक्षम होंगी।
- (11) 'उत्पादन केन्द्रों के सभी स्विचयाई पर बस-बार सुरक्षा मुईया कराई जाएगी ।

7

- (12) रिक्वेस्टर को परियोजना में स्वचालित समकालिक सुविध्याएं मुहैया कराई जाएंगी।
- (13) बोल्टेज तथा प्रतिधातक आवश्यकताओं सहित स्टेशन सहायक विद्युत आवश्यकता ग्रिड पर प्रिड कोड अथवा रान्य ग्रिड कोड जैसा भी मामला हो, में बताए गए प्रतिबंधों से बाहर परिवालित प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
- (14) जल विद्युत उत्पादन इकाईयों के मामले में स्वचालित सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। ब्लैक स्टार्ट के लिए स्टेशन सहायक आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए जल विद्युत उत्पादन केन्द्र में एक छोटा डीजल जेनेरेटर भी होना चाहिए।
- (15) उत्पादन केन्द्रों से सम्बद्ध उप-केन्द्रों के संबंध में 'पानक इन मानकों के भाग-III के तहत 'अप-केन्द्रों' के संबंध में बताए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे।

## 2. विद्यमान इकाईयां

200 मे.घा. तथा उससे अधिक को ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों तथा 100 मे.वा. तथा उससे अधिक को जल विद्युत इकाईयों के लिए नवीकाण एवं आधुनिकोकाण के समय पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए :--

- (1) प्रत्येक उत्पादन इकाई में आटोमैटिक चोल्टेज रंगूलेटर होगा ! 100 मे.घा. रेटिंग तथा उससे अधिक को जेनेरेटरों को दरित धमता में स्वतंत्र इनपुट आटोमैटिक चैंजोवर वाले दो पृथक चैनलों सहित आटोमैटिक चोल्टेज रंगूलेटर होंगे 1
- (2) 100 मे.वा. से अधिक क्षमता की प्रत्येक जेनेरेटिंग इकाई में विद्युत प्रणाली स्थिरीकारी होगा ।
- .(3) सभी उत्पादन इकाईयों में मानक सुरक्षा होंगे जो इकाईयों को न केवल इकाईयों के अंदर तथा स्टेशन के अंदर तुटियों से परंतु संचारण लाइनों में तुटियों से भौ सुरक्षित रखेंगे । सुरक्षाओं में सम्मिलित परंतु सीमित नहीं स्थानीय ब्रेकर बैंक-अप (एलबीबी) सुरक्षा होगी।

## भाग III

## संचारण लाइन प्रथा उप-केन्द्र पर लागु करने के लिए ग्रिष्ठ संयोजक मानक

इन विनियमनों तथा अनुसूची के पाग-1 में ग्रिड संयोजक के लिए मानकों के तहत सामान्य संयोजक परिस्थितियों के अतिषित ग्रिड से सम्बद्ध संचारण लाइने तथा उप-केन्द्र निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित अनुपालन करेंगे :--

- सभी नये उप-केन्द्रों के लिए 220 कि.वो. स्तरों तथा उससे अधिक सभी उप-केन्द्रों पर बस-बार सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी । विद्यमान उप-केन्द्रों के लिए यह उचित समय-सीमा में लाग किया जाएगा।
- (2) 220 कि.वो. तथा उससे अधिक समी उप-केन्ह्रों के लिए स्थानीय ब्रेकर बैक-अप (एलबीबी) सुरक्षा मुहैया कराए जाएंगे।
- (3) सभी चये उप-केन्द्रों के लिए 220 कि.बो. तथा उससे अधिक सभी संचारण लाइनों पर दो मुख्य नूमेरिकल डिस्टेंस सुरक्षा स्कीमें मुहैमा कराई जाएंगी। विद्यमान उप-केन्द्रों के लिए यह उचित समय-सीमा में लागू किया जाएगा।
- (4) सर्किट ब्रेकरों, आइंसोलेटरों तथा सभी अन्य करंट ले जाने वाले उपस्कर बिना किसी क्षति के सामान्य तथा आपातकाल भार करंट ले जाने के लिए सक्षम होंगे । उपस्कर अंतर्राज्य तथा अंतराज्य संचारण प्रणाली पर विद्युत हस्तांतरण की क्षमता पर प्रतिबंधक गुणक नहीं होगा ।
- (5) सभी सर्किट ब्रेकर तथा अन्य शेष अवरोधी उपाय किसी भी दोष के लिए करंट को जिसके लिए उन्हें अवरोध करने की आवश्यकता होगी, कुशलतापूर्वक अवरोध करने के लिए सक्षम होंगे । सर्किट ब्रेकर में बिना समय विलम्ब के दांघ को दूर करने की आवश्यकता हो। समुचित संचारण यूटिलिटी द्वारा विशेष रूप से न्यूनतम दोष रुकावट आवश्यकता की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है । सर्किट ब्रेकर सभी अन्य अपेक्षित स्विचिंग दुवूटी करने में सक्षम हो लेकिन वह केपेस्टिव करंट स्विचन, लोड करंट स्विचिंग तथा आउट ऑफ स्टेप स्विचन तक ही सीमित न हो । सर्किट ब्रेकर परिनमन अधिक वोल्टता सृजित किए बिना जिससे प्रिड में कहीं भी प्रावधित उपस्करों की क्षति हो सकती है, सभी अपेक्षित डयूटों का निर्वाह करेगा । प्राधिकरण द्वारा अल्पकालिक तथा संदर्शी संचारण योजनाओं पर आधारित सर्किट ब्रेकर की शॉर्ट सर्किट क्षमता पूर्ण होगी ।
- (6) उप-केन्द्र सहायक उपस्करों को विद्युत आपूर्ति :
  - (क) अल्टरनेटिंग करेंट (एसी) आपूर्ति (नए उप-केन्द्रों पर प्रयोज्य) के सिये :--

220 कि.वो. तथा अधिक : स्वायलम्बी स्रोतों से दो उच्च पारेषण आपूर्तियां व्यवस्थित की जाएंगी । दो उच्च पारेषण आपूर्तियों में से एक उच्च पारेषण आपूर्ति दूसरे की उद्धत होगी । इसके अतिरिक्त उपयुक्त क्षमता का डीजल उत्पादन (डीजी) स्रोत से आपातकाल आपूर्ति भी मुहैया कराई जाएगी ।

8

66 कि.वो. तथा 220 कि.वो. से कम : इसमें एक उच्च पारेषण आपूर्टि तथा एक डीजल उत्पादन स्रोत होगा।

33 कि.वो. तथा 66 कि.वो. से कम्न : इसमें एक उच्च पारेषंण आपूर्ति होगी।

(ख) डायरेक्ट करेंट (डीसी) आपूर्ति के लिए (भए उप-केन्द्रौं पर प्रयोज्य) के लिए :

132 कि.वो. तथा अधिक के संचारण प्रणाली के डपकेन्द्रों तथा सभी उत्पादन केन्द्रों का उप-केन्द्र के लिए : इसमें वैटियों के दो सैट होंगे जिनमें प्रत्येक सैट का अपना चार्चर होगा।

132 कि. वो. से कम उपकेन्द्रों के लिए. ; इसमें बैटी तथा चार्जर का एक सैट होगा।

(7) एक प्रभावी भू-सम्पर्कन प्रणाली के लिए अर्थ फास्ट फैक्टर 1.4 से अधिक नहीं होगा।

#### भाग IV

## वितरण प्रणालियों तथा बल्क उपभोक्ताओं पर लागू किए जाने वाले ग्रिड संयोजक मानक

भाग 1 में दिए गए ग्रिङ संयोजक तथा भाग-IH में ठप-केन्द्रों तथा संचारण लाइनों पर लागू किए जाने वाले इन विनियमनों तथा साम्यन्य मानदण्डों में संयोजन परिस्थितियों के अन्छवा निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

## 1. कम आवत्ति/डीएफ/डीटी प्रसारण

क्षेत्रीय विद्युत समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रिड को गिरतो हुई आवृति को स्थितियों में प्रिष्ट सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संपाल्यता में स्वयालित भार नियंत्रण के लिए कम आवृति तथा डीएफ/डीटी (सगम के साथ आयृति के बदलने को दर) प्रसारण को नियोजित करना होगा।

### 2. अभिक्रियाशील विद्युत

वितरण लाइसेंसभारी अपनी प्रणाली में प्रेरक अभिक्रियाशील विद्युत आवश्यकता की कुल क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त अभिक्रियाशील मुआवजा मुहैया कराएगी ताकि वह अभिक्रियाशील विद्युत सहायता के लिए ग्रिंड पर निर्गर करें। वितरण प्रणाली तथा बल्क उनभोक्ता का विद्युत गुणक 0.95 से कम पहीं होगा।

## 3. बोल्टेज तथा कर्रट हारमोनिक्स

- (1) संयोजन बिंदु पर वोल्टैंब के लिए कुल हारमोनिक विरूपण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा व्यक्तिगत हरमोनिक 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (2). संयोजन बिंदू पर किसी भी प्रमय संचारण प्रणाली से निकलती करट को कुल हारमौशिक विकृत 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.
- (3) (1) तथा (2) में नियोरित की गई सीमाएँ एक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी तार्कि इनका इन नियमनों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 5 वर्ष होने से पहले पूरी तरह अनुपालन किया जा सफे।

#### वोस्टेज असंतुलन

33 कि.वो. तथा उससे अधिक पर वोस्टेज असंतुलन 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

## 5, वोल्टेज अस्थिरता

- स्टेप बदलाव के लिए वोल्टेज अस्थिरता जो बार-बार हो सकती है, की उचित सीमा 1.5 प्रतिशत है।
- (2) यदाकदा अस्थिरता के लिए स्टेप बदलाव के अलावा अधिकतम उचित सीमा 3 प्रतिशत है।
- (3) उपरोक्त (1) तथा (2) में निर्धारित की गई सीमाएं इन नियमनों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 5 वर्ष होने से पहले लाग किए जाएंगे।

#### खैक-एनर्जाइंजेशन

उपयोक्ता अपने चेनेरेटरों अथवा किसी स्वचालित निपंत्रण अथवा मैनुअल स्रोत से संचारण अंथवा वितरण प्रणालो को कजी नहीं प्रदान करेगा जब तक किसी संचारण अथवा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया गया हो।

विजय कुमार सिश्र, सचिव

[विज्ञापन ]]]/IV/असा./187 जी/2006]]

792 GI/07-3

## MINISTRY OF POWER

## (CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

## NOTIFICATION

#### New Dolhi, the 21st February, 2007

No. 12/X/STD (CONN)/GM/CEA.--Whereas the draft of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2006 were published as required by Sub-section (2) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with rule 3 of the Electricity (Procedure for previous Publication) Rules, 2005;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 7 and clause (b) of Section 73 read with Sub-section (2) of Section 177 of Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following Regulations for regulating the technical standards for connectivity to the grid, namely :---

## 1. Short title and commencement '

- These Regulations may be called the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires,---

- (1) "Act" means The Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
  - (2) "Appropriate Load Despatch Centre" means the National Load Despatch Centre (NLDC), Regional Load Despatch Centre (RLDC) or State Load Despatch Centre (SLDC) or Area Load Despatch Centre as the case may he;
  - (3) "Area Load Despatch Centre" means the centre as established by the state for load despatch and control in a particular area of the state;
  - (4) "Appropriate Transmission Utility" means the Central Transmission Utility or State Transmission Utility as the case may be;
  - (5) "Automatic Generation Control" (AGC) means capability to regulate the power output of schectable units in response to total power plant output, tie-line power flow, and power system frequency;
  - (6) "Automatic Voltage Regulator" (AVR) means a continuously acting automatic excitation control system to regulate a generating unit terminal voltage;
  - (7) "British Standards" (BS) means those standards and specifications approved by the British Standards Institution;
  - (8) "Bulk consumer" means a consumer who avails supply at voltage of 33 kV or above;
  - (9) "Harth Fault Factor" at a location in a three-phase system means the ratio of "the highest root mean square (r.m.s.) phase-to-earth power frequency voltage on a sound phase during a fault to earth (affecting one or more phases)' to 'the r.m.s. phase-to-earth power frequency voltage which would be obtained at the selected location without the fault';
- (10) "Earthing" means connection between conducting parts and general mass of earth by an earthing device;
- (11) "Energy Management System" (EMS) means a complete system comprising software for facilitating operation
  of a power system, maintaining safety, reliability and contently;
- (12) "Event Logging Facilities" means a device provided to record the chronological sequence of operations of the relays and other equipment;
- (13) "Frequency" means the number of alternating cycles per second [expressed in Hertz (Hz)];
- (14) "Generating Unit" means an electrical Generator coupled to a prime mover within a Power Station together with all Plant and Apparetus at that Power Station (up to the Connection Point) which relates exclusively to the operation of that generator;
- (15) "IEC Standard" means a standard approved by the International Electrotechnical Commission;
- (16) "Indian Standards" (IS) means standards specified by Bureau of Indian Standards;
- (17) "Interconnection point" means a sub-station or switchyard at which point the interconnection is established between the requester and the grid;
- (18) "Isolator" means a device for achieving isolation of one part of an electrical system from the rest of the system:
- (19) "Maximum Continuous Rating" (MCR) of a generating unit means the maximum continuous output in MW at the generator terminals guaranteed by the manufacturer at rated parameters;

- (20) "New Unit" means a generating unit for which the requester is seeking connection to the grid;
- (21) "Power Factor" means the cosine of the electrical angle between the voltage and current complexots in an AC electrical circuit;
- (22) "Power System Stabilizer" (PSS) means controlling equipment which receives input signals of speed, frequency and power to control the excitation via the voltage regulator for damping power oscillations of a synchronous machine;
- (Z3) "Protection System" means the equipment by which abnormal conditions in the grid are detected and fault clearance, actuating signals or indications are initiated without the intervention by the operator;
- (24) "Reactive Power" means in relation to an AC electrical system, the product of root mean square (r.m.s.) voltage, root mean square (r.m.s.) current and the sine of the electrical phase angle between the voltage complexor and current complexor, measured in volt-amperes reactive (VAr);
- (25) "Requester" means a person such as a Generating Company including captive generating plant or Transmission Licensee (excluding Central Transmission Utility and State Transmission Utility) or Distribution Licensee or Bulk Consumer, who is seeking connection of his new or expanded electrical plant to the Grid at voltage level 33 kV and above;
- (26) "SCADA" means Supervisory Control and Data Acquisition System that acquires data from remote locations over communication links and processes it at centralised control location for monitoring, supervision, control as well as decision support;
- (27) "Site Common Drawing" means a drawing prepared for a connection site, which depicts layout of connection site, electrical layout, common protection and control drawings and common services;
- (26) "Site Responsibility Schedule" (SRS) means a Schedule for demarcaling the ownership, responsibility for control, operation and maintenance of the equipment at the interconnection point;
- (29) "System Protection Scheme" means a scheme designed to detect abnormal system conditions and take predetermined, corrective action to preserve system integrity and provide acceptable system performance:
- (30) "Thermal Generating Unit" means a generating unit using fossil fuels such as coal, lignite, gascous and liquid fuel;
- (31) "Total Harmonic Distortion" (THD) means a measure of distortion of the voltage or current wave form (which shall ideally be sinusoidal) and is the square root of the sum of squares of all voltage or current harmonics expressed as a percentage of the magnitude of the fundamental;
- (32) "Transmission System" means a network of transmission lines and sub-stations;
- (33) "Under Frequency Relay" means a relay which operates when the system frequency falls below a pre-set value;
- (34) "User" means a person such as a Generating Company including captive generating plant or Transmission Licensec (other than the Central Transmission Utility and State Transmission Utility) or Distribution Licensee or Bulk Consumer, whose electrical plant is connected to the grid at voltage level 33 kV and above; and
- (25) "Voltage Unbalance" means the deviation between highest and lowest line voltage divided by Average Line Voltage of the three phases.

The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

## 3. Applicability of the Regulations

These regulations shall be applicable to all the users, requesters, Central Transmission Utility and State Transmission Utility.

## 4. Objectives

- (1) The aim of these regulations is to ensure the safe operation, integrity and reliability of the grid.
- (2) The new connection shall not cause any adverse effect on the grid. The grid shall continue to perform with specified reliability, security and quality as per the Central Electricity Authority (Grid Standards for Operation and Maintenance of Transmission Lines) Regulations, as and when they come into force. However, these regulations are not to be relied upon to protect the plant and equipment of the requester or user.
- (3) A requester is required to be aware, in advance, of the standards and conditions his system has to meet for being integrated into the grid.

## 5. Standards

The equipment shall meet the requirements in accordance with the provisions of Technical Standards for Connectivity to the Grid as given in the Schedule of these regulations and Central Electricity Authority (Grid Sandards for Operation and Maintenance of Transmission Lines) Regulations as and when they come into force, and Grid Code and the State Grid Code(s) as specified by the appropriate Commission.

#### [PART III-SEC. 4]

#### 6. General Connectivity Conditions

- The requester shall be responsible for the planning, design, construction, reliability, protection and safe operation of its own equipment subject to the regulations for construction operation and maintenance and connectivity and other statutory provisions.
- (2) The requester and user shall furnish data as required by the Appropriate Transmission Utility or by the licensee or generating station with whose system the inter-connection is proposed, for permitting interconnection with the grid.
- (3) The requester and user shall provide necessary facilities for voice and data communication and transfer of on-line operational data, such as voltage, frequency, line flows, and status of breaker and isolator position and other parameters as prescribed by the Appropriate Load Despatch Centre.
- (4) The requester and user shall cooperate with the Regional Power Committee, and Appropriate Load Despatch Centres in respect of the matters listed below, but not limited to :---
  - (a) protection coordination and settings of its protective relays accordingly;
  - (b) agree to maintain meters and communication system in its jurisdiction in good condition;
  - (c) participate in contingency operations such as load shedding, increasing or reducing generation, is landing, black start, providing start-up power and restoration as per the procedure decided by the Appropriate Load Despatch Centre;
  - (d) furnish data as required by Appropriate Transmission Utility or Transmission Licensee, Appropriate Load Despatch Centre, Appropriate Regional Power Committee, and any committee constituted by the Authority of appropriate Government for system studies or for facilitating analysis of tripping or disturbance in power system;
  - (e) carryout modifications in his equipment with respect to short circuit level, protection coordination and other technical reasons considered necessary due to operational requirements;
  - (f) abide by the coordinated outage plan of the state and region in respect of generating units and transmission lines as approved by the Regional Power Committee; and
  - (g) cooperate with the Regional Power Committee for tuning of Power System Stabilizer provided in the excitation system of the generating unit.
- (5) The requester and user shall make arrangements for integration of the controls and tele-metering features of his system into the Automatic Generation Control, Automatic Load Shedding, Special Protection System, Energy Management Systems and Supervisory Control and Data Acquisition System of the respective state or region.
- (6) For inter-connection studies the requester shall make a request for connection in the planning stage to the Appropriate Transmission Utility. In case a requester is seeking inter-connection to a distribution system, such a request will be made to the distribution licensee. The Appropriate Transmission Utility or distribution licensee shall carry out the inter-connection study to determine the point of inter-connection, required inter-connection facilities and modifications required on the existing grids, if any, to accommodate the inter-connection. The study may also address the transmission system capability, transient stability, voltage stability, losses, voltage regulation, harmonics, voltage flicker, electrumagnetic transients, machine dynamics, ferro resonance, metering requirements, protective relaying, sub-station grounding and fault duties, as the case may be.
- (7)(1) Every connection of a requester's system to the grid shall be covered by a connection agreement between the requester and
  - (a) Appropriate Transmission Utility in case of connection to Inter-state transmission system or initia state transmission system as the case may be;
  - (b) Distribution licensee in case of inter-connection to distribution licensee's system; and
  - (c) Transmission licensee and Appropriate Transmission Utility, in case of inter-connection to a transmission licensee (hi-partite agreement).
  - (2) The connection agreement shall contain general and specific technical conditions, applicable to that connection.

#### 7. Site Responsibility Schedule

- A Site Responsibility Schedule (SRS) for every connection point shall be prepared by the owner of the substation where connection is taking place.
- (2) Following information shall be included in the Site Responsibility Schedule, namely,---
  - (a) Schedule of electrical apparatus services and supplies;

(c) Safety rules applicable to each plant and appatatus.

(3) Following information shall also be furnished in the Site Responsibility Schedule for each item of equipment

- installed at the connection site, namely >---
  - (a) the ownership of equipment;
- (b) the responsibility for control of equipment;
- (c) the responsibility for maintenance of equipment;
- (d) the responsibility for operation of equipment;
- (c) the manager of the site; -
- (f) the responsibility for all matters relating to safety of persons at site; and
- (g) the responsibility for all matters relating to safety of equipment at site.

#### 8. Access at Connection Site

The requester or user, as the case may be, owning the electrical plant shall provide reasonable access and other required facilities to the licensee or Appropriate Transmission Utility or Appropriate Load Despatch Centre, whose equipment is installed or proposed to be installed at the Connection Site for installation, operation and maintenance, etc. of the equipment.

## 9. Site Common Drawings

Site Common Drawings shall be prepared for each connection point by the owner of the Sub-station where connection is taking place.

## SCHEDULE

#### (See Regulation No. 5)

## Standards for Connectivity to the Grid

#### Part 1

#### General

#### 1. Standards and Codes of Practice

- The requester shall follow the industry best practices and applicable industry standards in respect of the equipment installation and its operation and maintenance.
- (2) The equipment including overhead lines and cables shall comply with the relevant Indian Standards, British Standard (BS), or International Electrotechnical Commission (IEC) Standard, or American National Standards Institute (ANSI) or any other equivalent International Standard :

Provided that whenever an International Standard or International Electrotechnical Commission Standard is followed, necessary corrections or modifications shall be made for nominal system frequency, nominal system voltage, ambient temperature, humidity and other conditions prevailing in India before actual adoption of the said Standard.

- (3) The effects of wind, storms, floods, lightening, elevation, temperature extremes, icing, contamination, pollution and earthquakes must be considered in the design and operation of the connected facilities.
- (4) Installation, operation and maintenance of the equipment by the requester shall conform to the relevant standards specified by the Authority under Section 177, and Section 73 of the Act, as and when they come into force.

## 2. Safety

The requester shall comply with the Indian Electricity Rules, 1956 till such time Ceptral Electricity Authority (Safety and Electric Supply) Regulations come into force.

#### 3. Sub-station Grounding

Each transmission sub-station must have a ground mat solidly connected to all metallic structures and other nonenergised metallic equipment. The mat shall limit the ground potential gradients to such voltage and current levels that will not endanger the safety of people or damage equipment which are in, or immediately adjacent to, the station under normal and fault conditions. The ground mat size and type shall be based on local soil conditions and available electrical fault current magnitudes. In areas where ground mat voltage rises would not be within acceptable and safe limits (for example due to high soil resistivity or limited sub-station space), grounding rods and ground wells may be used to reduce the ground grid resistance to acceptable levels. Sub-station grounding shall be done in accordance with the norms of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-80.

#### 4. Metering

Meters shall be provided as specified in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006.

792 GI 07-4

## 5. Basic Insulation Level and Insulation Co-ordination

- (1) Basic Insulation Level (BIL) of various items of equipment and ratings of surge arresters for generating stations, lines and sub-stations shall be decided on the following order of priority, namely :---
  - (a) ensure safery to public and operating personnel;
  - (b) avoid permanent damage to plant;
  - (c) prevent failure of costly equipment;
  - (d) minimise circuit interruptions; and
  - (c) minimise interruptions of power supply to consumers.
- (2) Insulation co-ordination of equipment and lines on both sides of a connection point belonging to the requester and the grid shall be accomplished and the co-ordination shall be done by the Appropriate Transmission Utility.

#### 6. Protection System and Co-ordination

- (1) Protection system shall be designed to reliably detect faults on various abnormal conditions and provide an appropriate means and location to isolate the equipment or system automatically. The protection system must be able to detect power system faults within the protection zone. The protection system should also detect abnormal operating conditions such as equipment failures or open phase conditions.
- (2) Every element of the power system shall be protected by a standard protection system having the required reliability, selectivity, speed, discrimination and sensitivity. Where failure of a protective relay in the requester's system has substantial impact on the grid, it shall connect an additional protection as back up protection besides the main protection.
- (3) Notwithstanding the protection systems provided in the grid, the requester and user shall provide requisite protections for safeguarding his system from the faults originating in the Grid.
- (4) Bus Bar Protection and Breaker Fail Protection or Local Breaker Back Up Protection shall be provided wherever slipulated in the regulations.
- (5) Special Protection Scheme such as under frequency relay for load shedding, voltage instability, angular instability, generation backing down or Islanding Schemes may also be required to be provided to avert system disturbances.
- (6) Protection co-ordination issues shall be finalized by the Regional Power Committee.
- (7) The requester and user shall develop protection manuals conforming to various standards for the reference and use of its personnel.

#### 7. Disturbance Recording and Event Logging Facilities

Every generating station and sub-station connected to the grid at 220 kV or above shall be provided with disturbance recording and event logging facilities. All such equipment shall be provided with time synchronization facility for global common time reference.

#### 8. Schematic Diagrams

The requester and user shall prepare single line schematic diagrams in respect of its system facility and make the same available to the Appropriate Transmission Utility or licensee through which his system is connected and the Appropriate Load Despatch Centre.

#### 9. Inspection, Test, Calibration and Maintenance prior to connection

Hefore connecting, the requester shall complete all inspections and tests finalised in consultation with the Appropriate Transmission Utility or licensee or generating station to which his equipment is connected. The requester shall make available all drawings, specifications and test records of the project equipment pertaining to integrated operation to the Appropriate Transmission Utility or licensee or generating station as the case may be.

#### Part II

### Grid Connectivity Standards applicable to the Generating Units

The units at a generating station proposed to be connected to the grid shall comply with the following requirements besides the general connectivity conditions given in the regulations and general requirements given in Part I of the Schedule —

## 1. New Generating Units

- (1) The excitation system for every generating unit :---
  - (a) shall have state of the art excitation system;
  - (b) shall have Automatic Voltage Regulator (AVR). Generators of 100 MW rating and above shall have Automatic Voltage Regulator with digital control and two separate channels having independent inputs and automatic changeover; and
  - (c) The Automatic Voltage Regulator of generator of 100 MW and above shall include Power System Stabilizer (PSS).

- (2) The Short-Circuit Ratio (SCR) for generators shall be as per IEC-34.
- (3) The generator transformer windings shall have delta connection on low voltage side and star connection on high voltage side. Star point of high voltage side shall be effectively (solidly) earthed so as to achieve the Earth Pault Factor of 1.4 or less.
- (4) All generating machines irrespective of capacity shall have electronically controlled governing system with appropriate speed/load characteristics to regulate frequency. The governors of thermal generating units shall have a droop of 3 to 6% and those of hydro generating units 0 to 10%.
- (5) The project of the requester shall not cause voltage and current harmonics on the grid which exceed the limits specified in Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard 519.
- (6) Generating Units located near load centre, shall be capable of operating at rated output for power factor varying between 0.85 lagging (over-excited) to 0.95 leading (under-excited) and Generating Units located far from load centres shall be capable of operating at rated output for power factor varying between 0.9 lagging (over-excited) to 0.95 leading (under-excited). The above performance shall also be achieved with voltage variation of ±5% of nominal, frequency variation of ±5% and combined voltage and frequency variation of ±5%. However, for gas turbines, the above performance shall be achieved for voltage variation of ±5%.
- (7) The coal and lightle based thermal generating units shall be capable of generating up to 105% of Maximum Continuous Rating (subject to maximum load capability under Valve Wide Open Condition) for short duration to provide the frequency response.
- (8) The hydro generating units shall be capable of generating up to 110% of rated capacity (subject to rated head being available) on continuous basis.
- (9) Every generating unit shall have standard protections to protect the units not only from faults within the units and within the station but also from faults in transmission lines. For generating units having rated capacity greater than 100 MW, two independent sets of protections acting on two independent sets of trip coils fed from independent Direct Current (DC) supplies shall be provided. The protections shall include but not be limited to the Local Breaker Back-up (LHB) protection.
- (10) Hydro generating units having rated capacity of 50 MW and above shall be capable of operation in synchronous condenser mode, wherever feasible.
- (11) Hus bar protection shall be provided at the switchyard of all generating station.
- (12) Automatic synchronisation facilities shall be provided in the requester's Project.
- (13) The station auxiliary power requirement, including voltage and reactive requirements, shall not impose operating restrictions on the grid beyond those specified in the Grid Code or state Grid Code as the case thay be.
- (14) In case of hydro generating units, self-starting facility may be provided. The hydro generating station may also have a small diesel generator for meeting the station auxiliary requirements for black start.
- (15) The standards in respect of the sub-stations associated with the generating stations shall be in accordance with the provisions specified in respect of "Sub-stations" under Part III of these Standards.

#### 2. Existing Units

For thermal generating units having rated capacity of 200 MW and above and hydro units having rated capacity of 100 MW and above, the following facilities would be provided at the time of renovation and modernization.

- (1) Every generating unit shall have Automatic Voltage Regulator. Generators having rated capacity of 100 MW and above shall have Automatic Voltage Regulator with two separate channels having independent inputs and automatic changeover.
- (2) Every generating unit of capacity having rated capacity higher than 100MW shall have Power System Stabilizer.
- (3) All generating units shall have standard protections to protect the units not only from faults within the units and within the station but also from faults in transmission lines. The protections shall include but not limited to the Local Breaker Back-up (LBB) protection.

#### Part III

#### Grid Connectivity Standards applicable to the Transmission Line and Sub-Station

The transmission lines and sub-stations connected to the grid shall comply with the following additional requirements besides the general connectivity conditions under these regulations and General Standards for Connectivity to the Grid as specified in Part I of the Schedule.

- Bus bar protection shall be provided on all sub-stations at and above 220 kV levels for all new sub-stations. For existing sub-stations, this shall be implemented in a reasonable time frame.
- (2) Local Breaker Back-up (LBB) protection shall be provided for all sub-stations of 220kV and above.
- (3) Two main numerical Distance Protection Schemes shall be provided on all the mansmission lines of 220 kV and above for all new sub-stations. For existing sub-stations, this shall be implemented in a reasonable time frame.



- (4) Circuit breakers, isolators and all other current carrying equipment shall be capable of carrying normal and emergency load currents without damage. The equipment shall not become a limiting factor on the ability of transfer of power on the inter-state and intra-state transmission system.
- (5) All circuit breakers and other fault interrupting devices shall be capable of safely interrupting fault currents for any fault that they are required to interrupt. The Circuit Breaker shall have this capability without the use of intentional time delay in clearing the fault. Minimum fault interrupting requirement need be specified by the Appropriate Transmission Utility. The Circuit Breaker shall be capable of performing all other required switching duties such as, but not limited to, capacitive current switching, load current switching and out-of-step switching. The Circuit Breaker shall be required duties witching transient over-voltages that could damage the equipment provided elsewhere in the grid. The short circuit capacity of the circuit breaker shall be based on short-term and perspective transmission plans as finalized by the Authority.
- (6) Power Supply to Sub-Station Auxiliaries, shall:
  - (a) for alternating current (AC) supply (Applicable to new sub-stations) :

220 kV and above: Two high tension (HT) supplies shall be arranged from independent sources. One of the two high tension supplies shall be standby to the other. In addition, an emergency supply from diesel generating (DG) source of suitable capacity shall also be provided.

66 kV and below 220 kV: There shall be one HT supply and one diesel generating source.

- 33 kV and below 66 kV: There shall be one HT supply.
- (b) for direct current (DC) Supply (Applicable to new sub-stations): Sub-stations of transmission system for 132 kV and above and sub-stations of all generating stations: There shall be two sets of batteries, each equipped with its own charger.
- For sub-stations below 132 kV: there shall be one set of battery and charger.
- (7) Earth Fault Factor for an effectively earthed system shall be not more than 1.4.

Part IV

## Grid Connectivity Standards applicable to the Distribution Systems and Bulk Consumers

The following additional requirements shall be complied with, besides the connectivity conditions in these regulations and general Standards for Connectivity to the Grid given in Part-I and those applicable to transmission lines and sub-stations in Part-III.

#### 1. Under Frequency/df/dt Relays

Under frequency and df/dt (rate of change of frequency with time) relays shall be employed for automatic load control in a contingency to ensure grid security under conditions of falling grid frequency in accordance with the decision taken in the Regional Power Committee.

## 2. Reactive Power

The distribution licensees shall provide adequate reactive compensation to compensate the inductive reactive power requirement in their system so that they do not depend upon the grid for reactive power support. The power factor of the distribution system and bulk consumer shall not be less than 0.95.

# 3. Voltage and Current Harmonics

- The total harmonic distortion for voltage at the connection point shall not exceed 5% with no individual harmonic higher than 3%.
- (2) The total harmonic distortion for current drawn from the transmission system at the connection point shall not exceed 8%.
- (3) The limits preseribed in (1) and (2) shall be implemented in a phased manner so as to achieve complete compliance not later than five years from the date of publication of these regulations in the official Gazette.

## 4. Voltage Unbalance

The Voltage Unbalance at 33 kV and above shall not exceed 3.0%.

## 5. Voltage Fluctuations

- (i) The permissible limit of voltage fluctuation for step changes which may occur repetitively is 1.5%.
- (2) For occasional fluctuations other than step changes the maximum permissible limit is 3%.
- [3] The limits prescribed in (1) and (2) above shall come into force not later than five years from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

#### 6. Back-energization

The consumer shall not energize transmission or distribution system by injecting supply from his generators or any other source either by automatic controls or manually unless specifically requested by the Transmission or Distribution Licensee.

BUOY KUMAR MISRA, Secy. [ADVT-III/IV/Exty/187G/06] r,

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110064.